

## विकसित भारत: सहकार से संवृद्धि

**Dr. Manju Kumari**

Assistant Professor

Department of Economics

G.B. College Naugachia, Bhagalpur

A unit of Tilka Manjhi University Bhagalpur

### सार (Abstract):-

सह और कार्य की समावेशी अवधारणाओं में निहित सहकारिता भारत में सामुदायिक विकास की परिवर्तनकारी क्षमता को समेटे हुए हैं यद्यपि राज्यों के बीच इसका विकास असमान रहा है फिर भी सहकारी संस्थाएं आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने तथा सतत समुदाय आधारित प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

सहकारिता सामूहिक प्रयास और स्वामित्व के तहत आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने की एक विधि है। भारत में इसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान 1904 के सहकारी ऋण समितियां अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया था। लेकिन इससे बहुत पहले भी भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली और पारस्परिक सहयोग की परंपरा आर्थिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता का दर्शन भारत की जीवन धारा में अनिवार्य रूप से समाहित है।

**मुख्य शब्द :-** सहकारिता , आर्थिक गतिविधि , आर्थिक नीति , सामुदायिक विकास

### परिचय:-

#### सहकारिता:-भारत की जीवन रेखा

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सहकारिता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है देश की गरीबी और संकट को दूर करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को सामूहिक रूप से अंजाम देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों की सामाजिक आर्थिक नीतियां सुधारने हेतु सहकारिता के प्रत्येक प्रयास के महत्व को रेखांकित किया उन्होंने 1921 में हाथ से कटाई चरखा को परिभाषित करते हुए कहा –"यह विश्व में अब तक देखी गई सबसे बड़ी शैक्षिक सहकारिता का प्रतीक है, जो अपने दैनिक जीवन यापन हेतु कार्य कर रहे हैं। "

1904 के अधिनियम में 1912 में संशोधन कर सहकारी आंदोलन को ग्रामीण बचत और ऋण से कैसे आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया गया ताकि आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिल सके।

2012 के संसाधनों के साथ सहकारिताओं का दायरा गैर ऋण क्षेत्र तक विस्तारित किया। यह आंदोलन जो पहले केवल राहत प्रदान करने तक सीमित था, अब सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने

वाले एक सख्त अभियान में रूपांतरित हो गया जिसका श्रेय 1914-15 में गठित मैकलेंगन समिति की सिफारिश को भी जाता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार की योजना प्रक्रिया में सहकारिताओं को उचित मान्यता प्राप्त हुई और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए।

‘सहकार से संवृद्धि’ इस दिशा में सरकार के साधनों और उद्देश्यों दोनों को स्पष्ट करता है। यह प्रयास इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि सहकारिता आर्थिक स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक सख्त माध्यम है- विशेष रूप से सामुदायिक नेतृत्व वाली और सामुदायिक स्वामित्व वाली उद्यमशील पहलुओं को पुनर्जीवित, सशक्त और मजबूत करेंगे।

समय के साथ जीवन और आजीवन की जटिलताएं बढ़ी, जनता की प्राथमिकताएं व आकांक्षाएं बदलती गईं और निरंतर प्रगति एवं संवृद्धि की अपेक्षाएं तीव्र होती गईं। भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए 6 जुलाई 2021 हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा इस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया और समस्त देश में सहकारिता आंदोलन के विकास को सक्षम बनाने और विस्तार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया।

सहकारिताओं की शक्ति को मान्यता देना आवश्यक है यह लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत आर्थिक समस्याएं होती हैं जो सात स्वर्णिम सिद्धांतों का पालन करती हैं, लाभ से अधिक लोगों को प्राथमिकता देती हैं।

- लाभ से अधिक लोगों को प्राथमिकता देना
- जनकेंद्रित संगठन के रूप में कार्य करती हैं।
- सामूहिक एकता की भावना को विकसित (जागृत) करता है |
- सामुदायिक को बढ़ावा व्यापार भावना और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं।
- सहकारिता की अंतर्निहित शक्ति समावेशी आर्थिक विकास की असीम संभावनाएँ को इंगित करती हैं।

इस सहकारिता का स्पष्ट उदाहरण है - भारत का प्रसिद्ध डेयरी सहकारी ब्रांड 'अमूल'। यह संस्था **सरदार बल्लभ भाई पटेल और श्री त्रिभुवनदास पटेल** की सोच का परिणाम है। इन दोनों सहकारिता नायकों द्वारा बोया गया बीज और वैश्विक डेयरी ब्रांड बन चुका है। और इसने आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लिए सहकारिता के सिद्धांत शाश्वत सिद्धान्तों को पूर्णतः चरितार्थ किया है, जैसे-

- सहजीवन (एकता में जीवन)
- स्ववित्त पोषण
- मेक इन इंडिया
- स्टार्टअप इंडिया
- कौशल विकास
- स्वरोजगार (आत्मनिर्भरता आजीविका)
- स्व अद्यमिता (MSME) Micro, small, and Medium enterprises

## अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

- ❖ बिहार की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना
- ❖ विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना

- ❖ आर्थिक सुधारों और सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करना
- ❖ भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का अध्ययन करना

## शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, नीति आयोग और अन्य स्रोतों का उपयोग किया गया है।

## तालिका 1: सहकारिता के सिद्धान्त

क्रमांक	सिद्धान्त	विवरण
1.	स्वैच्छिक और खुली सदस्यता	बिना किसी भेदभाव के स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
2.	लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण	सदस्य प्रेरित और सदस्य नियंत्रित लोकतांत्रिक इकाइयों जिसमें एक सदस्य एकमत का सिद्धान्त लागू होता है।
3.	सदस्य आर्थिकभागीदारी	सभी सदस्यों में न्यायमंगत योगदान और आर्थिक गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी
4.	स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता	आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाली स्वतंत्रता व्यापारिक संस्थाएं
5.	शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना	सहकारी समितियां अपने सदस्यों निर्वाचित प्रतिनिधियों प्रबंधक और कर्मियों को अपनी इकाइयों की विकास मुहिमा में बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करता है।
6.	सहकारी समितियों के बीच समझौता	सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कुशल सेवा सदस्यता प्रदान करती है और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से साथ मिलकर काम करके सहकारिता आंदोलन को मजबूत करती है।
7.	समुदाय के प्रति चिंता	सहकारी समितियां का एक प्रमुख उद्देश्य उचित नीतिगत उपायों को अपना कर अपने समुदायों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना है।

### स्रोत :- अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन (इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियांज)

भारत को आज अपनी पिछली गौरवशाली उपलब्धियां पर अभिमान है और वह अभिमान युक्त और सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने में मार्ग तलाश रहा है। ऐसे समय पर जब हम आजादी का स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं | हमें सहयोग के रचनात्मक के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणीय स्थान हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। सहकारी समितियों को सार्वभौमिक रूप से सामाजिक और आर्थिक नीति के एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इनमें आजीवन सुरक्षा और रोजगार में वृद्धि के साथ समग्र आर्थिक समृद्धि के प्रयासों को मजबूत करने की क्षमता निहित है। यह पूंजी पुंजी केंद्रित संघनन के बजाय जान केंद्रित

संगठन हैं और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक जड़ता के साथ-साथ समुदाय स्तर पर व्यवसाय की समझ – बुझ संबंध पैदा करते हैं। और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाते हैं।

सहकारिताओं की एक विशिष्ट पहचान होती है भारत में सदैव “वसुधैव कुटुम्बकम्” के सिद्धांत का समर्थन किया है जो भेदभाव रहित समावेशी सामाजिक आर्थिक कल्याण की भावना पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण पहचान मिली, जब उन्हें सरकार की दीर्घकालीन योजनाओं में सशक्त किया गया।

जुलाई 2021 से मार्च 2025 के बीच सहकारिता मंत्रालय में महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर अनुमोदन प्राप्त किया और सहकारी विकास पहलुओं को मजबूती देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए।

## तालिका -2. सहकारी विकास पर सार्वजनिक नीति ,लाभ और स्थिति (2021 –2025)

क्रमांक	सरकारी निर्णय	लाभ और वर्तमान स्थिति (मार्च 2025)
1.	सरकारी ई मार्केट प्लेस (GEM) पर पंजीकृत खरीद क्रय और विक्रेता के रूप में सहकारी समितियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार तक पहुंचाना</li> <li>➤ पारदर्शिता से विश्वसनीयता में विधि</li> <li>➤ 574 सहकारी समितियां खरीदार के रूप में GEM पर शामिल</li> <li>➤ 67 लाख विक्रेताओं से वास्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम जिसमें पारदर्शिता के साथ किफायती खरीद संभव</li> </ul>
2.	पैक्स का कंप्यूटरकरण (2,516) करोड़ रुपए की वित्तीय लागत सहित	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सहकारी ऋण लेन-देन का पूर्ण डिजिटल लाइजेशन</li> <li>➤ एकीकृत राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर द्वारा सभी स्तरीय क्रेडिट सहकारिताएं नाबार्ड से जुड़े</li> <li>➤ व्यवसाय विधीकरण और लाभ में वृद्धि की क्षमता</li> <li>➤ संचालन शासन और वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता</li> </ul>
3.	जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक सहकारी संस्था की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संग्रह, प्रमाणीकरण, परीक्षण, मानकीकरण खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग लेवेलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग</li> <li>➤ सदस्य सहकारिताओं की पूरी जैविक आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन, जैविक शोध संवर्धन और विकास गतिविधियों का आरंभ प्रचार और विकास को प्रोत्साहन</li> <li>➤ आत्मनिर्भरता और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना</li> </ul>
4.	सहकारी समितियां से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वैश्विक बाजार तक सदस्य सहकारिताओं की पहुंच</li> <li>➤ सहकारिताओं की निर्यात क्षमता को बढ़ावा</li> <li>➤ उत्पाद भी निर्देशन परीक्षण मानकीकरण और अन्य निर्यात सेवाएं प्रदान कर सामूहिक निर्यात को बढ़ावा</li> </ul>

5.	सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, संरक्षण, प्रमाणीकरण और वितरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बीज सहकारी संस्था की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कृषि बीज व्यवसाय में एक सक्रिय शक्ति के रूप में उभरना</li> <li>➤ किसानों की बीज गुणवत्ता, परीक्षण, उत्पादन, प्रमाणन और वितरण में सक्रिय भागीदारी</li> <li>➤ एक विश्वसनीय ब्रांड नाम के तहत बीज वितरण</li> <li>➤ कृषि समुदायों के आर्थिक तकनीकी पक्षों में सुधार</li> </ul>
6.	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विकास	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ क्षेत्र विशिष्ट विविध सहकारी समितियों को सूचीबद्ध करने के लिए व्यवस्थित और संगठित जानकारी प्राप्त करने हेतु एक व्यापक डेटाबेस विकसित करना</li> <li>➤ सभी क्षेत्र की सहकारी समितियों पर प्रामाणिक और अद्यतन डेटा संग्रहित करना ताकि हित धारकों को डेटा विश्लेषण करने में मदद मिल सके।</li> <li>➤ नीति निर्माण में सहायता और डेटा अंतराल का पता लगाना</li> </ul>
7.	2.54 लाख पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना (नाबार्ड, NDDB, NFDB और राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रत्येक सेवा से वंचित क्षेत्र में पैक्स/डेयरी मत्स्य सहकारिताओं की स्थापना और मौजूदा सहकारिताओं का सशक्तिकरण</li> <li>➤ व्यवसाय विविधीकरण, विपणन, वित्त पोषण और सेवा प्रदान में सहायता, इससे गांव स्तर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।</li> <li>➤ 12,957 नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत</li> </ul>
8.	'पैक्स' के माध्यम से विश्व का सबसे सामुदायिक खाद्यान्न भंडार अभियान	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कृषि अवसंरचना निधि, AMI, SMAM, PMFME आदि योजनाओं का संयोजन</li> <li>➤ किसानों के नुकसान को कम करने और मजबूरी में बिक्री को खत्म करने के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि</li> <li>➤ लॉजिस्टिक लागत में कटौती खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और PDS की दक्षता में सुधार</li> <li>➤ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना</li> </ul>

वर्तमान में भारत में कुल 8,14,575 सहकारी संस्था है, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 29 करोड़ इसमें से 80,613 प्राथमिक सहकारी संस्था है, और 19 राष्ट्रीय स्तर के सहकारी महासंघ/संघ कार्यरत हैं। आज भारत में सहकारिताओं की 98% गांव में उपस्थित है।

जुलाई 2021 से जुलाई 2025 के बीच सहकारिता मंत्रालय ने कई नीतिगत निर्णय को स्वीकृति दी और सहकारिता विकास पहलुओं से मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत में सहकारिता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

**तालिका 3 :- भारत में सहकारी आंदोलन पर एक नजर**

A. प्रकार के अनुसार सहकारिता	संख्या	B. प्रदर्शन के अनुसार सहकारी समितियां	प्रतिशत
❖ देशभरमेंकुलसहकारिताएं	8.14 लाख	▪ ग्रामीणक्षेत्रमेंसहकारितानेट वर्क	98.0%
❖ कुलसदस्य	29 करोड़	▪ गांवजहांपैक्समौजूदहै।	90.8%
❖ प्राथमिकसहकारिताएं	8.10 लाख	▪ उर्वरकउत्पादन (सरकारीक्षेत्र)	28.8%
❖ राष्ट्रीयस्तरकेमहासंघ	19	▪ उर्वरकवितरणसहकारीसं स्थाएं	35.0%
❖ राज्यस्तरकेमहासंघ	237	▪ सरकारीचीनीमिलोंद्वाराचीनी उत्पादन	30.6%
❖ जिलास्तरकेमहासंघ	461	▪ भंडारणक्षमतावालेपैक्स	55.6%
❖ बहुराज्यसहकारीसमितियां	1,697	▪ कृषिऋणमेंसहकारिताओं की भागीदारी	13.40%
❖ ऋणआधारितसहकारिताएं	1.77 लाख	-	-
❖ गैरऋणसहकारिताएं	6.76 लाख	-	-
❖ प्राथमिककृषिऋण समितियां पैक्स	1.05 लाख	-	-

**स्रोत :-** राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय

सरकार द्वारा सरकारी समितियां को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए बनाई गई नीतियां इसका उद्देश्य सहकारी समितियां के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विकास के लिए सार्वजनिक नीति के मुख्य पहलू है।

**वित्तीय सहायता :-**

सरकार सहकारी समितियां को ऋण ,दान और सब्सिडी प्रदान करती है।

कानूनी और नियामक ढांचा – सरकार सरकारी समितियां के सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करती हैं ।

**बाजार पहुंच:-**सरकार सहकारी समितियां को अपने उत्पादों और सेवाओं से बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने में मदद करती है।

**सहकारी संघवाद :-**सरकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी संघवाद को बढ़ावा देती है ताकि सहकारी के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जा सके ।

**पैक्स को सक्रिय बनाना:-** 'पैक्स' (primary agriculture credit societies) (प्राथमिक कृषि साख समितियां) के लिए मॉडल उपविधियां तैयार की गई थी ताकि जमीनी स्तर पर एक जीवित, व्यावहारिक, बहुउद्देशीय और बहुआयामी सहकारी संस्कृति विकसित की जा सके। इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने के लिए भेजा गया। यह पैक्स को मछली पालन, डेयरी, भंडारण गोदाम, कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकिंग कॉरिस्पोंडेंस से लेकर नवीनीकृत ऊर्जा और अन्य नए क्षेत्रों में 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम बनाती है साथ ही यह बेहतर गुणवत्ता और जिम्मेदार सहकारी प्रशासन को भी सुनिश्चित करती है इन वीडियो के कारण संचालन की दक्षता प्रदर्शित और सामुदायिक विकास के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी।

आज information technology के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नाबार्ड और सीएससी की सेवा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके तहत पैक्स और बड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां का पंजीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को 300 से अधिक ई सेवाएं प्रदान करना है। इसमें बैंकिंग बीमा, आधार पंजीकरण, अपडेट कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट प्रबंधन, पैन कार्ड, बस /हवाई /रेल टिकट जैसी सेवाएं शामिल हैं। मार्च 2025 तक 42,080 'पैक्स' ने नागरिकों को सीएससी सेवाएं देना शुरू कर दिया है।

'पैक्स' अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधिय केंद्र भी संचालित कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आए हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक आसानी से पहुंच मिल रही है साथ ही 36,193 'पैक्स' प्रधानमंत्री किसान संवृद्धि केंद्र (PMKSK) भी संचालित कर रहे हैं जो किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

डेयरी और मत्स्य समितियां अब जिला और राज्य सहकारी बैंकों की बैंक मित्र बन सकती है इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए गुजरात में 8,322 माइक्रो एटीएम बैंक मित्र सहकारी समितियां को वितरित किए गए हैं। डेयरी सहकारी समितियां में आवश्यक नगदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो और वित्तीय लेन-देन कर सके।

## **सहकारिता:- आत्मनिर्भर भारत की संवाहक शक्ति**

भारत सरकार ने तूर, मसूर और उड़द की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके साथ ही एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का की पैदावार बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं जो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में मदद करेंगे। किसानों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल जैसे कि संयुक्त और आई समृद्धि विकसित किए गए हैं जिसके तहत तूर, मसूर और उड़द तथा मक्का के पूर्व पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 100% उत्पादन की खरीद सुनिश्चित की गई।

## **पैक्स का तेल एवं ऊर्जा व्यवसाय में विस्तार:-**

पैक्स को अब पेट्रोल/डीजल, डीलरशिप और एलपीजी वितरक के लिए लाइसेंस लेने की अनुमति दी गई है। यह पहला व्यवसाय में विविधता लाने, आय सृजन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगी। साथ ही 'पैक्स' ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की

न्यूनतम सहायता से वे नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के सक्रिय साझेदार बन सकते हैं। पैक्स से जुड़े किसान अब सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेत में और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल भी स्थापित कर सकते हैं। सरकार में सहकारी ऋण प्रणाली की मौजूदगी तीन स्तरीय संरचना को बनाए रखने के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। सहकारी रण संरचना के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं राज्य सहकारी बैंक (STCB) से जिला सहकारी बैंक (DCCB) और फिर पैक्स (PACS) तक।

## सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार:-

शिक्षा और कौशल विकास सहकारिता के भीतर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। त्रिभुवन राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना सहकारी आंदोलन को संरक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। सहकारी शिक्षा को संस्थागत रूप देने से भारत एक अधिक कुशल, टिकाऊ सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है जो की न केवल सहकारिता की भावनाओं को संरक्षित करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सशक्त भी बनाता है।

एक परिवर्तनकारी पहल श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ है जो सहकारी मॉडलों के माध्यम से दुग्ध क्षेत्र में नवजीवन का संचार करती है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल देती है यह पहल भारत की मूल दुग्ध क्रांति की विरासत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अधोसंरचना का आधुनिकरण करना, दुग्धउत्पादन बढ़ाना और महिला किसानों के सतत आय के अवसर सृजित करना है।

यह पहला सहकार से **समृद्धि और विकसित भारत @2047** की व्यापक दृष्टियों के तहत खाद्य सुरक्षा ग्रामीण रोजगार और लैंगिक सशक्तिकरण जैसे लक्षण के साथ मेल खाती है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिताओं मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करती है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को **अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष** घोषित किया है, जिसका विषय है- **'cooperatives build a Better world'** यानी **सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण** करती है। भारत सरकार से समृद्धि की भावना के साथ सहकारी समितियों के सामाजिक और आर्थिक योगदान का उत्सव मना रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहभागिता वर्ष 2025 एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सफलता की कहानी को साझा किया जाएगा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी तंत्र में आधुनिक तकनीक और तरीकों को अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक साझेदारों को बढ़ाना वैश्विक साझेदारियों को सुदृढ़ करना और भारत को सहकारी शासन और नवाचार में अग्रणीय देश के रूप में स्थापित करना है।

**विकसित भारत @2047** का विजन भारत की उसे आकांक्षा में निहित है जिसमें स्वतंत्रता के 100 वर्षों के उपलक्ष में देश को एक विकसित आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र के रूप में देखना है। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र- आर्थिक, सामाजिक तकनीकी और पर्यावरणीय को आधुनिक सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। यह परिवर्तन केवल व्यापक आर्थिक प्रगति यह शहरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के उत्थान, जमीनी संस्थाओं की मजबूती और अंतिम व्यक्ति समृद्धि पहुंचने की दिशा में भी उतना ही महत्वपूर्ण हो इस व्यापक मिशन

में सहकारिता संस्थान परिवर्तन के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभर रहे हैं जो एक सहभागी, समावेशी और सतत विकास के लिए उपयुक्त है।

सरकार की **विकसित भारत @2047** की परिकल्पना में भारत को एक **30 ट्रिलियन डॉलर** की अर्थव्यवस्था में बदलने और इसे विश्व की सिर्फ तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना शामिल है इस योजना में गरीबी उन्मूलन, हंड्रेड परसेंट साक्षरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पर स्मार्ट तथा टिकाऊ शेरों का निर्माण जैसे लक्ष्य निहित हैं। इस रोड मैप में प्रौद्योगिकी नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, मजबूत डिजिटल अवसंरचना और वैज्ञानिक उन्नति को अनिवार्य घातक माना है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह दृष्टिकोण एक न्याय संगत, समावेशी और लचीले समाज के निर्माण की बात करता है- जहां पर नागरिक चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान अवसर प्राप्त कर सके और गरिमा में भी जी सके।

## प्रमुख चुनौतियाँ

- ❖ सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी
- ❖ राजनीतिक हस्तक्षेप
- ❖ तकनीकी पिछड़ापन
- ❖ वित्तीय संसाधनों की कमी

## समाधान और सुझाव

- ❖ डिजिटल सहकारिता मॉडल अपनाना
- ❖ लोकल से ग्लोबल रणनीति
- ❖ सशक्त शासन (Governance Reform)
- ❖ महिला एवं युवाओं की भागीदारी बढ़ाना

## CONCLUSION

भारत अपने गौरवशाली अतीत का सम्मान करते हुए एक समावेशी और सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर रहे तो हमें **अमृतकाल (2025-2047)** के शेष समय में सहयोग के माध्यम से विश्व के आर्थिक अग्रणी देश में से एक बनने के लिए भविष्य के लिए तैयार होना होगा। सरकार में समेक्ती और समावेशी दृष्टिकोण के जरिए सरकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करने का संकल्प दिखाया है सहकारिता 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में समावेशन और समानता को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है।

सरकार से समृद्धि की दृष्टि केवल एक नीति आकांक्षा नहीं है- यह समावेशी जनता केंद्रित आर्थिक परिवर्तन के लिए एक आह्वान है सभी स्तरों पर प्रयासों को एकजुट करके सहकारी संस्थाओं को मजबूत करके और स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाकर हम एक मजबूत और सामंतवादी सहकारीस्थिति तंत्र का निर्माण कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए निरंतर प्रतिबद्धता, नीति समर्थन और सहयोगात्मक नेतृत्व सहकारिताओं के समृद्धि के इंजन में बदलने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और सहयोग की भावना से एक आत्मनिर्भर सशक्त भारत बनाने में महत्वपूर्ण होंगे।

## संदर्भ (References)

1. Livemint (2025) – Cooperatives and Viksit Bharat
2. Ministry of Cooperation (2025)
3. योजना
4. कुरुक्षेत्र